भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2475

दिनांक 21.12.2022 को उत्तर देने के लिए

रॉयल्टी दरों की समीक्षा

†2475. श्री पिनाकी मिश्रा:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिजों की रॉयल्टी दरों की समीक्षा के लिए गठित समिति ने मार्च, 2022 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;
(ख) यदि हां, तो इसके अनुसरण में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने खनिजों के लिए रॉयल्टी दरों में संशोधन के लिए कोई समय-सीमा तय की है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

खान, कोयला एवं संसदीय कार्य मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) और (ख): जी, हां। खान मंत्रालय ने उन खनिजों की रॉयल्टी जहां रॉयल्टी की गणना प्रति टन के आधार पर की जाती है, की दरों की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया और समिति ने अपनी रिपोर्ट 07.03.2022 को प्रस्तुत कर दी है।

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम, 1957) की धारा 9 की उप-धारा (3) के तहत खनिजों की रॉयल्टी दरों को समय-समय पर संशोधित किया जाता है। रॉयल्टी दरों को अंतिम बार 01.09.2014 को संशोधित किया गया था।

(ग) से (ङ): जी, नहीं। ऐसी कोई समय-सीमा तय नहीं की गई है। एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 9 के अनुसार, प्रत्येक खनन पट्टा धारक को एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रॉयल्टी दरों के अनुसार हटाए गए या उपभोग किए गए प्रमुख खनिजों के लिए रॉयल्टी का भुगतान करने की आवश्यकता है। एमएमडीआर अधिनियम की धारा 9(3) के अनुसार के तहत केंद्र सरकार किसी खनिज के संबंध में देय रॉयल्टी की दर अधिसूचित करेगी।

*****